न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–08 / 2019

1. शिशपाल पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेशकुमार पुत्र केशराराम जाति खाती साकिन आदर्शनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–असल रेस्पोडेन्टस

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज)

–रेस्पोडेन्टस

3. यशोदा पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. देवकी पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. सुनील पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. कौशल्या पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7. श्यामगीर पुत्र बादलगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. राजप पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
9. राजेन्द्र पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
10. भीम पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
11. इन्द्रा पुत्री सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
12. भगवानीदेवी पत्नी सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा
13. सन्तोष पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
14. मीरा पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
15. सुरेन्द्र पुत्र सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
16. लिलावती पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

17. कृष्णा पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
18. कंचन पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–तरतिवी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

निर्णय दिनांकः–16.02.2023

अपीलांट शिशपाल पुत्र नन्दगिर जाति गौंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने निर्णय उपतहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी दिनांक 21.05.2012 जिसमें इंतकाल संख्या 525 चक न. 5 सी.एच.एन. तस्दीक किया गया निरस्त करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. यह कि अपील कृत निर्णय विधि विरुद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। नकल इंतकाल संख्या 525 संलग्न अपील है।
2. यह कि संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक नं. 5 सी. एच. एन. तहसील भादरा के मु.न. 53 कि.न. 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 मु.नं. 54 कि. न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु.न. 64 कि.न. 5 कुल 24 बिघा भुमि का बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर कोम गोसाई खातेदार काश्तकार था, जिसका देहान्त हो गया जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट नं. 7 एवं मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी, बिमलादेवी पुत्रीयान कुल 8 वारिस हुए थे।
3. यह कि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर कौम गोसाईं का देहान्त हो गया जिसके जायज वारीस रेस्पोडेन्ट नं. 7 एवं मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी, बिमलादेवी पुत्रीयान कुल 8 वारिस हुए लेकिन बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के फौत होने पर मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, पुत्रगण एवं बिमलादेवी पुत्री ने साजिशाना कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्व तरीके से अपने नाम विरास्तन इंतकाल संख्या 171 दिनांक 20.05.95 को कानून की स्पष्ट अवहेलना कर रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा आदेश पारित करवाकर उपतहसीलदार छानीबड़ी से अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया गया जबकि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के कुल 8 वारिस थे इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4. यह कि मणीदेवी पत्नी बादलगीर फौत हो चुकी है, जिसके वारिस रेस्पोडेन्ट नं. 7 एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, नन्दगिर, सीता गिर पुत्रगण एवं सीतादेवी, बिमलादेवी पुत्रीयान हुए एवं नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण बादलगीर एवं सीतादेवी पुत्री बादलगीर फौत हो चुके है नत्थूगिर के जायज वारिस सुमित्रा पत्नी, गीता पुत्री, नरेन्द्र पुत्र ही हैं नन्दगिर के जायज वारिस अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 6 ही है सीतागिर के जायज वारिस रेस्पोडेन्ट न. 12 ता 18 ही है एवं सीतादेवी के जायज वारीस रेस्पोडेन्ट न. 8 ता 11 ही है।

5. यह कि मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जा संम्बधी जांच की ना ही बादलगीर के वारिसान बाबत सही जांच की यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो बादलगीर के 8 वारिस 1/8, 1/8 हिस्सा के हकदार होते एवं इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

6. यह कि मातहत अदालत को निर्णय पारित करने से पूर्व वारिसान बाबत् ग्रामवासियों से सही जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

7. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी, मनमाना, एकपक्षीय एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

8. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

9. यह कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, पुत्रगण एवं बिमलादेवी पुत्री ने भूमि अपने नाम दर्ज करवाई है जबकि बादलगीर के 8 वारिस एवं हकदार हैं राजस्व रिकार्ड में भूमि नाम दर्ज नहीं होने के कारण जिससे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

10. यह कि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के फौत होने पर मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, पुत्रगण एवं बिमलादेवी पुत्री ने साजिशाना तरीके से विवादित भूमि अपने अकेलों के नाम गुपचुप तरीके से उपतहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी से मिलकर दिनांक 20.05.1995 को इंतकाल संख्या 171 चक नं. 5 सी. एच.एन. तस्दीक करवा लिया गया एवं गलत अंकन के आधार पर बिमलादेवी पुत्री बादलगीर ने जरिये बैयनामा दिनांक 26.04.2012 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 को भूमि बैय

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कर दी एवं उसके आधार पर इंतकाल नं. 525 दर्ज कर दिया गया, जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 18 के हकूक के मुकाबले जन्मजात शुन्य एवं प्रभावहीन है इससे रेस्पोडेन्ट नं. 1 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इंतकाल संख्या 171 दिनांक 20.05.1995 को निरस्त करवाने बाबत अलग से अपील पेश कर रखी है चुंकि आगे कानूनी अड़चन ना आये इसलिए यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

11. यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 18 अपने हक व हिस्सा की भूमि को लगातार कास्त करते आ रहे हैं लेकिन अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है ना ही रिकार्ड को देखा अब बिमलादेवी पुत्री बादलगीर ने ऐलानिया कहा कि हमने जमीन विरास्तन अपने नाम दर्ज करवा कर कुछ भूमि आगे बैच दी है, तब पटवारी हल्का से जमाबन्दी देखी तो रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई जानकारी होते ही हल्का पटवारी से इतंकाल की नकल दिनांक 28.02.2019 को प्राप्त की तब विधि विरूद्ध इंतकाल के दर्ज होने की जानकारी हुई जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

12. यह कि रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 18 वर वक्त दायरी अपील हाजिर नहीं होने के कारण तरतिबी रेस्पोडेन्टस बनाया गया है, वे जब चाहे अपीलान्टस बन सकते है।

13. यह कि अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फिस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

14. यह कि अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा ।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 525 चक नं. 5 सी.एच.एन. तहसील भादरा दिनांक 21.05.2012 निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। तरतिबी रेस्पोडेन्ट संख्या–3 ता 18 को अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपतहसीलदार(राजस्व) छानीबड़ी द्वारा नामान्तरण संख्या 525 दिनांक 21.05.2012 चक नं0 5 सी.एच.एन. तस्दीक किया, जिसके विरूद्ध अपील पेश की गई है। बादलगिर पुत्र चेला उदयगिर के फौत होने पर पत्नी मणीदेवी एंव लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थुगिर पुत्रगण एंव पुत्री विमलादेवी ने साजिशाना तरीके से विवादित भूमि अपने नाम गुपचुप तरीके से उपतहसीलदार राजस्व छानीबड़ी से दिनांक 20.05.1995 को इंतकाल संख्या 171 चक नं0 5 सी.

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

एच.एन. तस्दीक करवा लिया एंव गलत अंकन के आधार पर बिमलादेवी पुत्री बादलगिर ने जरिये बैयनामा दिनांक 26.04.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को भूमि बैय कर दी एंव उसी के आधार पर नामान्तरण संख्या 525 दर्ज कर दिया गया, जो अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 18 के हक के मुकाबले जन्मजात शुन्य एंव प्रभावहीन है। इससे रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इंतकाल संख्या 171 दिनांक 20.05.1995 को निरस्त करवाने बाबत न्यायालय हाजा में अपील विचाराधीन है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपतहसीलदार(राजस्व) छानीबड़ी द्वारा नामान्तरण संख्या 525 दिनांक 21.05.2012 चक नं0 5 सी.एच.एन. तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण की अपील 7 वर्ष बाद पेश की गई है। अतः अपील काबिले खारिज है म्याद के बिंदु पर भी काबिले खारिज है। इस संबध में निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) [2019 RBJ 20] IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, Revision/Colo/4980/ 2007/ Bikaner, State of Rajasthan through Tehsildar Colonization kolayat no.1 Bikaner versus Suraj Narain s/o Narsinghdas page no. 20 to 24

(2) [Citation: 2022(2)DNJ(Rev) 1609], Nihal Khan &Ors versus State of Rajasthan Thro' Tehsildar Nachna-2

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का नाम गलत प्रविष्टी के आधार पर आया है, जो कि गलत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

हमनें अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा रिकार्ड का अध्ययन किया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 20.05.1995 को भरे गये नामान्तरण संख्या 171 व उसी आधार पर दिनांक 21.05.2012 में भरे गए नामान्तरण संख्या 525 पर प्रश्नचिन्ह् कारित किया गया है एंव नामान्तरण संख्या 171 में वारिसान की प्रविष्ट है। साथ ही सुनी जा रही अन्य पत्रावली में नामान्तरण संख्या 171 पर प्रश्न चिन्ह् है। नामान्तरण संख्या 525 बैयनामा के आधार पर भरा गया है। दोनों पक्षों के वारिसान संबधी बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत किए गये है परन्तु वारिसान संबधी दस्तावेजों में एकरूपता का अभाव है। यह एकरूपता क्यों नहीं है, इस बिन्दु पर किसी पक्षकार द्वारा कोई भी कथन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई तथ्य पेश किया है। इस अपील में नामान्तरण को प्रश्नगत करनें के स्थान पर वल्दियत पर प्रश्नचिन्ह् है जिसका निर्धारण किया जाना है। जहां तक नामान्तरण का प्रश्न है, 25 वर्ष पश्चात अपील पेश किया जाना सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अपीलांट बादलगिर के

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वारिसान है या नहीं, यह भी सिद्ध नहीं होता है। अपीलांट पहले अपनी वल्दियत एंव हक अधिकार का निर्धारण दावे से सक्षम न्यायालय में करवाए। जब तक नामान्तरण संख्या 171 पर निर्णय नहीं होता तब तक नामान्तरण संख्या 171 के आधार पर भरे गये नामान्तरण संख्या 525 पर निर्णय दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस स्तर पर यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक **16.02.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/2/23

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)